श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक-19.04.2025 को आयोजित प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। बैठक में आंतरिक संसाधन, विकासात्मक योजनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत बैठक में निम्न निदेश दिये गये :-

1. सभी जिलान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में Biometric के माध्यम से उपस्थिति का संधारण किया जाय। इस हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ-साथ कार्यालय प्रधान से 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र की माँग की जाय।

2. जिला स्तर से नामित सभी वरीय पदाधिकारी अपने-अपने आवंटित प्रखंड तथा अंचल कार्यालयों का अगले 15 दिनों के अंदर निरीक्षण करेंगे। तथा कार्यालय संचालन के सभी बिन्दुओं पर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध करायेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी से अभियान बसेरा के तहत कृत कार्रवाई की समीक्षा कर लेंगे। तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि सर्वे में कोई महादलित परिवार नहीं छूटा है।

3. समाहरणालय संवर्ग के रिक्तियों के बहाली के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से लगातार निदेश प्राप्त हो रहे हैं। अद्यतन रिक्ति की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजें। लंबित रोस्टर अनुमोदन का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर शीघ्र आयुक्त कार्यालय में भेजे। प्रस्ताव के साथ समाहरणालय के जानकार कर्मी/ प्रधान लिपिक को भी भेजा जाय ताकि त्रुटि निराकरण आयुक्त कार्यालय के स्तर पर ही कर लिया जाय एवं इसमें विलंब ना हो।

4. विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा आधारभूत संरचनाओं हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लंबित मामलों की समीक्षा की गयी। पाया गया कि प्रगति परिलक्षित है किन्तु अभी भी सभी लंबित मामलों का जिला स्तर से आवश्यक समीक्षा नहीं की जा रही है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि कई कार्यालयों द्वारा सीधे अंचल कार्यालय को Requisition भेज दिया जाता है। सभी समाहर्त्ता इस संबंध में समाहरणालय स्तर पर सभी लंबित मामलों की सूची तैयार कर लेंगे तथा एक माह के अंदर प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन करने की कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन, थाना भवन, जेल, हायर एडुकेशनल इन्स्टीटूयशन (मेडिकल कॉलेज/ इंजीनियरिंग कॉलेज/ आई0टी0आई0/ पॉलिटेक्निक आदि), महत्वपूर्ण Public Utility (Bus Stand/Land Fill Site आदि), पंचायत सरकार भवन हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य जमीन को चिन्हित करते हुए एक माह के अन्दर लंबित मामलों का निष्पादन करायेंगे।

5. पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा की गयी। यह पाया गया कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा को निर्माण प्रगति के लंबित रहने/विवाद के कारण कार्य रूकने की पूरी जानकारी नहीं है। सभी जिला पदाधिकारी इस संबंध में संबंधित

जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा कार्य एजेंसी की टीम बनाकर रूकावट वाले मामलों की स्थलीय जाँच करावें तथा समस्या का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करावें।

6. MJC तथा रिट याचिका में पारित आदेश की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि MJC के मामलों में निर्धारित अगली सुनवाई के पूर्व Show Cause दायर करने की मुकम्मल व्यवस्था समाहरणालय स्तर पर नहीं है। किसी भी स्थिति में MJC में अगली सुनवाई के पूर्व Main Party द्वारा कारण पृच्छा दायर किया जाय। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना को कारण बताते हुए समय की माँग की जाय।

7. संभावित बाढ़-2025 के तैयारियों की समीक्षा की गयी। प्रमंडलीय स्तर पर विगत बाढ़ संबंधित बैठक के अनुपालन की समीक्षा की गयी थी। तीनों जिला के समाहर्त्ता को ससमय सभी आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।

8. तीनों जिलान्तर्गत पुनर्वास की समीक्षा की गयी। बाढ़/कटाव से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन हेतु जमीन का प्रस्ताव अधिकतम एक माह के अंदर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सहरसा एवं सुपौल में पुनर्वासन हेतु कटाव पीड़ित परिवारों की संख्या शून्य है। समाहर्त्ता, सहरसा एवं सुपौल को निदेश दिया गया कि इसका Verification सभी अंचल अधिकारी के स्तर से करा लेंगे। मधेपुरा जिला के आलमनगर अंचल के किशनपुर, छतौना टोला तथा ललीया में कटाव पीड़ितों की संख्या-36 है। जिसके पुनर्वासन हेतु लीज नीति के तहत भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। साथ ही कपसिया में पुनर्वासन हेतु कटाव पीड़ितों की संख्या-156 है तथा किशनपुर रतवाड़ा, महेन्द्र मंडल टोला तथा छतौना टोला में कटाव पीड़ितों की संख्या-116 है। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन हेतु (अधिकतम एक माह) भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजें।

9. किलकारी, सहरसा के सुदृढ़ीकरण हेतु लंबित मामलों की चर्चा की गयी। यह बताया गया कि अस्थायी अनापत्ति दी गयी है, जिसके कारण विभिन्न Activity हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में बताया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के स्तर से विभाग से मार्गदर्शन की माँग की गयी है। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का पत्र उपस्थापित किया गया। जिससे यह स्थिति दृष्टिगत है कि विभाग के सामान्य निदेशों के आलोक में अन्य प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों (पूर्णिया प्रमंडल) में किलकारी का कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। किन्तु सहरसा में जिला स्तर के पदाधिकारी तथा संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है जो खेदजनक स्थिति है। यह निर्णय लिया गया कि Unconditional NOC दिया जाए ताकि अन्य प्रमंडल मुख्यालय की भांति यहाँ भी सभी आधारभूत संरचना का विकास हो। ताकि सहरसा जिला मुख्यालय के झुग्गी/झोपड़ी के गरीब बच्चों को किलकारी योजना का सभी लाभ मिल सके। अतः जिला पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि व्यक्तिगत

अभिरूचि लेते हुए Unconditional No Objection Certificate (अन्य प्रमंडलीय जिलों की भांति) निर्गत हेतु विभागीय सचिव/निदेशक से वार्ता कर शीध्र निष्पादन Ensure करें। तथा तत्समय अस्थायी NOC निर्गत करने के संचिका की जाँच करते हुए इस प्रकरण के लिए जिम्मेवार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए दो सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर से कार्यालय भवनों के समुचित साफ-सफाई का निदेश निर्गत है। किन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि सरकारी भवनों में अभी तक साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। कार्यालय में अभिलेखों के विधिवत संधारण तथा निष्पादित अभिलेखों को अलग रखने की व्यवस्था नहीं हो पायी है। इस संबंध में सभी कार्यलय प्रधान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के निदेशों के आलोक में कार्यालय की आवश्यक साफ-सफाई तथा अभिलेखों को विधिवत संधारित करने हेतु कार्रवाई करेंगे।

11. जिला भू-अर्जन कार्यालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह निदेश दिया जाता है कि The right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act., 2013, NH Act., 1956, Railway Act., 1989 तथा अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार भू-अर्जन की कार्रवाई समयवद्ध रूप से नियामनुसार की जाय। मुआवजा भुगतान में अनावश्यक विलंब न किया जाय। जिला भू-अर्जन कार्यालय में आगत आवेदन/परिवाद निस्तार की उचित व्यवस्था की जाय।

12. सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रखंड/अंचल की भाँति नगर निकाय कार्यालय का भी समय समय पर समीक्षा हेतु वरीय उप समाहर्त्ता को नामित किया जाय। संबंधित वरीय उप समाहर्त्ता नगर निकाय कार्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध करायेंगे। संबंधित वरीय उप समाहर्त्ता आवश्यक समन्वय कर नगर निकाय हेतु याचित Bus Stand, Land Fill Site आदि Public Utility के लिए सुयोग्य जमीन चिन्हित कराकर लंबित मामलों का निस्तार करायेंगे।

13. लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि अभी भी अच्छी प्रगति नहीं हो रही है। राजस्व वादों के निस्तार हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सभी पदाधिकारियों को बैठक के क्रम में एक Presentation भी दिया गया। वादों के अधिग्रहण, नोटिस निर्गत करने, नोटिस तामिला कराने, विपक्षी से जवाब प्राप्त करने, Issue in question निर्धारित करने, Issue in question पर उपस्थापित evidence की समीक्षा कर Findings अंकित करने एवं तदोपरांत निर्णय अभिलिखित करने के संबंध में चर्चा की गयी। वादों के समयवद्ध एवं गुणवर्त्तापूर्ण निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

14. जिलान्तर्गत नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गयी। नीलाम पत्र वादों के समीक्षा के क्रम में LDM/बैंकर्स को निदेश दिया गया कि वे नीलाम पत्र वादों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से समुचित पैरवी ensure करें। जिसका अभाव पाया जा रहा है। समीक्षा में यह पाया गया कि BW/DW में मधेपुरा जिला में अच्छी प्रगति है किन्तु

सहरसा जिले की प्रगति अच्छी नहीं है। बैठक में उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। राजस्व पर्षद के निदेशानुसार BW/DW का शीघ्र निष्पादन संबंधित पुलिस अधीक्षक करेंगे। प्रमादी मिलर के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाय। प्राथमिकता के आधार पर बड़े बकायेदारों से वसूली की राशि जल्द से जल्द जमा कराने पर विशेष ध्यान दिया जाय। दैनिक स्तर पर 3% लंबित BW/DW का निष्पादन Ensure करें।

15. सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि परिवाद प्राप्त होने पर समीक्षा कर लेंगे तथा संबंधित लोक प्राधिकार से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर परिवाद के बिन्दु के निराकरण से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत हीं अंतिम आदेश पारित करेंगे। आदेश में परिवाद के बिन्दुओं पर सकारण आदेश से परिवाद का निस्तार करेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2177 दिनांक 22-4-2025

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्त्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/सभी प्रंखड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ तथा अन्य सभी प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी/ जिला स्तरीय पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान को कार्यवाही अपने स्तर से प्रेषित करें।

Rajesh.
22/4/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक.....2177..... दिनांक.....22-04-2025

प्रतिलिपिः- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल / मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा / मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर, सुपौल / संयुक्त आयुक्त –सह– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा / क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा / क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप निदेशक पंचायती राज, कोशी प्रमंडल, सहरसा / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप निदेशक, सांख्यिकी, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप श्रमायुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप निदेशक खाद्य, कोशी प्रमंडल, सहरसा / संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा / क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, कोशी प्रमंडल, सहरसा / अपर (राज्यकर) आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / सहायक महा निरीक्षक निबंधन, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप निदेशक मत्स्य, कोशी प्रमंडल, सहरसा / उप निदेशक खान एवं भू–तत्व विभाग, कोशी प्रमंडल, सहरसा / संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा / सिविल सर्जन, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा / उपायुक्त उत्पाद, कोशी प्रमंडल, सहरसा / जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / जिला अवर निबंधक, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / उप नियंत्रक, माप एवं तौल, कोशी प्रमंडल, सहरसा / अधीक्षण अभियंता, भवन, अंचल–सहरसा / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल–सहरसा / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अंचल–सहरसा / अधीक्षण अभियंता, नहर, अंचल–कोशी / अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण, सहरसा / अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, कोशी प्रमंडल, सहरसा / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण, अंचल–सहरसा / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, सहरसा/बिरपुर / अधीक्षण अभियंता, विद्युत, कोशी प्रमंडल, सहरसा / अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कोशी प्रमंडल, सहरसा / अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन, सहरसा / परियोजना निदेशक, NHAI, सुपौल/पूर्णियाँ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल / अग्रणी बैंक मैनेजर, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल।

22.4.25

आयुक्त के सचिव
कोशी प्रमंडल, सहरसा